classmate
Date
Page

DATE: 10/10/2020

B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT ~~& POLITICS~~)

CH: 10 (GOVERNOR)

LECTURE NO. - 07

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपाल के सम्बंध में सिफारिशें

विभिन्न कारणों की वजह से 'राज्यपाल पद' के सम्बंध में विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, इसी आलोक में राज्यपाल की नियुक्ति तथा भूमिका के सन्दर्भ प्रशासनिक सुधार आयोग (1966), राजमन्नार समिति (1969), भगवान सहाय समिति (1970) सरकारिया आयोग (1983) ने अपनी-अपनी सिफारिशें दी हैं, जो इस प्रकार हैं —

(i) प्रशासनिक सुधार (1966) (अध्यक्ष-मोरारजी देसाई) की सिफारिशें —

(a) उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के विषय में लम्बा अनुभव हो और दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता में विश्वास हो। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह दोबारा राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए

(aa) राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए।

(iii) राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट बनाते समय राज्यपाल को स्वविवेक और स्वनिर्णय के आधार पर काम करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(iv) राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखने के विषय पर स्वनिर्णय का प्रयोग करना चाहिए।

(v) सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर गया है और विधायक बन गया है या निर्वाचित पद पर है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल बनाया जा सकता है।

(vi) राज्यपालों के द्वारा किस प्रकार स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग किया जाय, इस विषय में निर्देश-संकेतों को केन्द्र की स्वीकृति पर राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाना चाहिए। उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। अर्थात् राज्यपाल के स्वविवेकी शक्ति को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(vii) जब भी राज्यपाल के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत नहीं रहा है, तो इसका अंतिम निर्णय उसे विधानसभा का सत्र बुलाकर मंत्रिमंडल के समर्थन को देखकर करना चाहिए।

(viii) जब कोई मंत्रिमंडल किसी बड़े नीति निर्माण संबंधी विषय पर सदन में पराजित हो जाता है और यदि मुख्यमंत्री सदन भंग करने की सलाह देता है ताकि वह मतदाताओं से निर्णय ले सके, तो राज्यपाल को उसकी सलाह मान लेनी चाहिए। अन्य मामलों में वह स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।

Scanned with CamScanner

(iii) राज्यपाल को न केवल अनु० 167 के प्रावधान के अनुकूल सूचना प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को प्रभावी तौर पर पूरा करने के लिए ऐसा करना चाहिए।

राजमन्नार समिति की सिफारिशें—

(i) राज्यपाल की नियुक्ति सदैव राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श करके की जानी चाहिए तथा इसके लिए सदैव वैकल्पिक व्यवस्था यह हो सकती है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त संगठन की सलाह के आधार पर किया जाय।

(ii) एक बार राज्यपाल पद पर रह चुके व्यक्तियों को इसी पद पर दूसरे कार्यकाल अथवा सेवकत्व के अधीन किसी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(iii) राज्यपाल को अपने कार्यकाल में पद से तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए, जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच के बाद उसके द्वारा दुर्व्यवहार या उसकी अक्षमता न साबित हो जाय।

(iv) संविधान में विशेष प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए, जो राष्ट्रपति को राज्यपालों के लिए निर्देश देने का अधिकार प्रदान करे।

(v) संविधान में शामिल इस प्रावधान को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद पर रहेगा।

(vi) राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Date ____
Page ____

(vii) जहाँ राज्यपाल को विधानसभा में किसी एक दल के स्पष्ट बहुमत के सम्बंध में समाधान नहीं, वहाँ राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन मुख्यमंत्री के चयन के लिए बुलाना चाहिए और अधिवेशन में चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

(viii) यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह राज्यपाल को देता है, तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह मान लेनी चाहिए।

(ix) यदि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है, तो राज्यपाल को तत्काल विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में असफल रहता है, तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए।

—x—x—x—

राज्यपाल के सम्बंध शेष अन्य समितियों की सिफारिशें अगले Lecture में।

Scanned with CamScanner